

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 417]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2019—आश्विन 17, शक 1941

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2019

क्र. एफ 2-1-19-बाईस-पी-1.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 69 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तों) नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित, मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 13 सितम्बर 2019 को पूर्व प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

“नियम 7 में, उप-नियम (4) में, शब्द “आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय” के स्थान पर, शब्द “संभागीय आयुक्त” स्थापित किए जाएं.

No. F 2-1-19-XXII-P-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (1) of Section 69 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam 1993 (No. 1 of 1994), the State Government hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Service (Gram Panchayat Secretary, Recruitment and conditions of Service) Rules, 2011, which has been previously published in the Madhya Pradesh Gazette dated 13th September, 2019 as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act namely:—

AMENDMENT

In the said Rules,—

”In rule 7, in sub-rule (4), for the words “Commissioner, Panchayat Raj Sanchalanalay”, the words “Divisional Commissioner” shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. चौधरी, उपसचिव.

833

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.